



आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम- 129)

आदेश - पत्रक- ता0 से तक ।

जिला - गढ़वा लगान निर्धारण वाद सं0 53 / 2016-~~17~~ सन् 2016-2017

केश का प्रकार- खतियानी रैयती भूमि का लगान निर्धारण के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30.12.2016	<p>आवेदक श्रीमती चुनमुन देवी पति-श्री पारस नाथ सिंह ग्राम-सोनपुरवा द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन पत्र में ग्राम-सोनपुरवा के खाता संख्या-102 प्लॉट संख्या-861 रकबा-0.05 5/8 एकड़ भूमि का रघुबीर सिंह पिता-फिरंगी सिंह से केवाला संख्या-6040 दिनांक-10.08.2000 को भूमि क्रय किये है जिस पर मकान भी बना हुआ है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का मांग कायम करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>प्राप्त आवेदन के आलोक में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की जांच प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी गढ़वा। </p>	
05.03.2017	<p>अभिलेख उपास्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा लगान निर्धारण हेतु जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम-सोनपुरवा के खाता संख्या-102 प्लॉट संख्या-851 एवं 852 रकबा-0.09 एवं रकबा-0.08 का कुल रकबा-0.17 एकड़ भूमि बेलगान कायमी बना था। खतियानी रैयत के वंशज के पत्नी नगिना देवी पति-माला नुनीया वो कलावती देवी पति-टालुक नोनीया वो विजय चौहान वो अजय चौहान वो सनगम चौहान पिता-टालुक नोनीया ने बजरीय केवाला संख्या-4224 दिनांक-30.05.1989 के द्वारा रघुबीर सिंह पिता-फिरंगी सिंह के साथ विक्री किया। रघुबीर सिंह ने बजरीय केवाला संख्या-6044 दिनांक-10.08.2000 के द्वारा प्लॉट संख्या-851 में 0.05 5/8 एकड़ भूमि का विक्री किया। उक्त भूमि पर आवेदिका का शान्ति पुर्ण दखल-कब्जा है तथा आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें आवासीय है। भूमि, भू0 दान, भू0 हदबंदी एव सार्वजनिक उपयोग से मुक्त है। उक्त भूमि रैयती खाता की भूमि है।</p> <p>अंचल अमीन द्वारा गाम-सोनपुरवा के खाता संख्या-102 प्लॉट संख्या-851 रकबा-0.05 5/8 एकड़ भूमि का मापी किया गया है जिसका चौहदी-उ0 रघुबीर सिंह, द0 विनय सिंह, पू0 रास्ता एवं प0 रघुबीर सिंह है। प्रस्तावित भूमि का नक्शा संलग्न है।</p> <p>आवेदक से प्रश्नगत भूमि का खतियान की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी गढ़वा। </p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

29.12.18

अभिलेख उपस्वीकृत किया गया। आवेदिका द्वारा लगान निर्धारण हेतु प्रस्तावित भूमि का स्वतंत्र प्रस्तुत किया गया है।

इसका कर्मचारी अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर लगान निर्धारण हेतु प्रस्तावित भूमि का आम इन्वेस्टमेंट निगम को देना दिनांक 02.01.2018 तक आपति आवेदन की मांग करें।

अंचल अधिकारी गढ़वा

03.01.2019

अभिलेख उपस्वीकृत किया गया। अनुशेवक द्वारा इन्वेस्टमेंट का तमिल्या प्रतिवेदन समर्पित किया गया। निधामित तिथि तक किसी भी अपति द्वारा आपति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

इसका कर्मचारी अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित लगान निर्धारण प्रस्ताव का अवलोकन किया। अवलोकनोपमान पाया गया कि ग्राम सोनपुरवा के श्रम सं. 102 (लॉट 851, 852) का कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि स्वतंत्र में, मातु नोनिमा, मसकीर नोनिमा को मातु नोनिमा के नाम से खे लगान दर्ज है। श्रम सं. 102 (लॉट 851, 852) में स्वतंत्र के रैमन के पंजाब के पत्नी नगीना देवी पति स्व. मातु नोनिमा के मातु देवी पति टालुक नोनिमा, विजय चौहन, आजप चौहन को सनगम चौहन पिता टालुक नोनिमा ने वर्ष 1989 में केवाला सं. 4224 दिनांक 30.05.1989 को रघुवीर सिंह पिता स्व. पितरंगी सिंह को 11 1/2 एकड़ भूमि विक्री कर दिया। रघुवीर सिंह ने श्रम सं. 102 (लॉट 851) रकबा 0.05 1/2 एकड़ भूमि आवेदिका पुनमुन देवी पति पारस नाथ सिंह ग्राम सोनपुरवा को विक्री किया। प्रस्तावित भूमि आवेदिका का दरमय कल्ला में देखा सफा करवा कर विक्री है। भूमि रैमन श्रम सं. 102 है।

अ: इसका कर्मचारी अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सोनपुरवा के श्रम सं. 102 (लॉट 851) रकबा 0.05 1/2 एकड़ भूमि आवेदिका पुनमुन देवी पति पारस नाथ सिंह ग्राम सोनपुरवा के नाम पर लगान निर्धारण की अनुशंसा की जाती है। लगान की वसुली जातिदारी उन्नतुलन की तिथि से वसुली होगी।

अभिलेख उपस्वीकृत भूमि सुधार गढ़वा को भेजें। अंचल अधिकारी गढ़वा

अंचल अधिकारी गढ़वा

27.7.19

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं०- 53/2016-17 में निम्न भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

भूमि का विवरण।

ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	माल
सोनपुरवा	102	851	0.05 $\frac{5}{8}$ एकड़	6.00

अंचल अधिकारी, गढ़वा के द्वारा अभिलेख के आदेश फलक में अंकित किया गया है, कि ग्राम सोनपुरवा के खाता सं०- 102, प्लॉट सं०- 851, रकबा-0.05 $\frac{5}{8}$ एकड़ है जिस पर आवेदिका का घर बारी अवस्थित है, जिस पर आवेदिका का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा आवेदिका श्रीमती चुनमुन देवी पति श्री पारस नाथ सिंह, ग्राम- सोनपुरवा, पो०+थाना- गढ़वा, जिला- गढ़वा है। उक्त भूमि का खतियान रैयत के वंशज के पत्नी नगीना देवी पति स्व० मालु नोनिया कलावती देवी पति टालुक नोनिया, पिजय चौहान, अजय चौहान वो सनगम चौहान पिता टालुक नोनिया ने वर्ष 1989 में केवाला के माध्यम से रघुबीर सिंह पिता स्व० फिरंगी सिंह को विक्री कर दिया। रघुबीर सिंह पिता स्व० फिरंगी सिंह ने आवेदिका चुनमुन देवी पति श्री पारस नाथ सिंह ग्राम सोनपुरवा, पो०+थाना- गढ़वा, जिला- गढ़वा को विक्री कर किया प्रस्तावित भूमि आवेदिका का दखल कब्जा में है।

अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा आम ईश्तेहार निकाली गई है, जिसमें किसी के द्वारा अपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। प्रस्तावित भूमि भू-दान, भू-हदबंदी एवं वन सीमा से मुक्त एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग से बाहर है।

अंचलाधिकारी, गढ़वा के द्वारा दिये गये जाँच रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत इस कार्यालय से भी दिनांक- 27.06.2019 को आम ईस्तेहार निर्गत की गई तथा स्थल पर लोगो से पुछ-ताछ कराया गया है, जिसमें निर्धारित तिथि 08.07.2019 एवं वर्तमान समय तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा लगान निर्धारण वाद सं०- 13/2018-19 में अंकित जाँच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सोनपुरवा के खाता सं०- 102, प्लॉट सं०- 851, रकबा-0.05 $\frac{5}{8}$ एकड़ भूमि को आवेदिका श्रीमती चुनमुन देवी पति श्री पारस नाथ सिंह, ग्राम- सोनपुरवा, पो०+थाना- गढ़वा, जिला- गढ़वा है के नाम से लगान निर्धारण की...₹ 91,575... दी जाती है।

लगान की वसूली जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से की जाएगी।

लेखापित एवं संशोधित।

₹ 91,575
27.7.19
उप समाहर्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

₹ 91,575
27.7.19
उप समाहर्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

9.9

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

उपस्थानकारी भूमि सुधार गढ़वा के पत्रांक 204
दिनांक 27.07.2019 द्वारा अगान निधामों
वाद संख्या 53/2016-17 में स्वीकृति के पत्रांतर
मुद्रा अभिलेख वापस हुआ है।

अतः अगान निधामों वाद संख्या 53/2016-17
में स्वीकृति के पत्रांतर तीन प्रति में से ~~दो~~ ^{एक} प्रति
निगम को भेजने के लिए एक प्रति संबंधित दफ्तर
कर्मचारी को ~~हस्तांतर~~ ^{हस्तांतर} कराए।

[Signature]
11.9.19
अंमल अधिकारी
गढ़वा

RENT ROLL

Schedule to be issued un Assessment of rent on Kabil Lagan & Korkar Land DIST-GARHWA, Sub Division GARHWA, Anchal - GARHWA


Name of Case & Case No.	Name of applicant with Father's Name and full Address	Name of Village in which settled in Thana and Thana No.	Khewat No.	Halka No.	Circle	Class of Land	Particular of Land		Avrage rent of rent grand rent fixed	Rent Fixed	Remarks	
							Khata No.	Plot No.				Area
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53/2016 2012	श्रीमति सुनमुन देवी पति श्री पारमानाथ सिंह ग्राम- सोनपुरवा पोखाना- गढ़वा	ग्राम-सोनपुरवा थाना सं. 242		VII	गढ़वा	मकान	102	851	0.055 8	एक रुपये 6.00 रुपये (दः रुपये मात्र)	6.00	रैयती स्वामिनी के लागान भूमि

लगान निर्धारण वाद संख्या- 53 / 2016-17 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के आदेश ज्ञापांक 204 दिनांक- 27.07.2019 के द्वारा मांग निर्धारित है।

(1) कुल रकबा 0.055 एकड़ (पांच पूर्णांक पांच
वरा आठ डिसेमिल)
(02) कुल वार्षिक लगान- 6.00 रुपये (दः रुपये मात्र)
नोट:- लगान की वसूली जमीनदारी उन्मूलन तिथि से की जाएगी।

ज्ञापांक 932 / दिनांक- 11.09.2019

प्रतिलिपि :- राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का संख्या-..... को सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


 अंचल अधिकारी,
 गढ़वा